न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 56/19 निर्णय दिनांक 29-01-2025
(जीसीएमएस संख्या 2019/00346)

1. सागरमल पुत्र लिखमीचन्द जाति महाजन करनाणी निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. रामा देवी बेवा लिखमीचन्द जाति महाजन करनाणी निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. किरण देवी पुत्री लिखमीचन्द जाति महाजन करनाणी निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. माणकलाल पुत्र रामरतनलाल जाति महाजन करनाणी निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. रामकिशन पुत्र लिखमीचन्द जाति महाजन करनाणी निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. मंजू पुत्री लिखमीचन्द जाति महाजन करनाणी निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. संतोष पुत्री लिखमीचन्द जाति महाजन करनाणी निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. अंजू पुत्री लिखमीचन्द जाति महाजन करनाणी निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।
7. उप पंजीयक महोदय, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–12–2019
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री आनन्द बजाज, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री सत्यपाल सिंह शेखावत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3
4. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 13–12–2019 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट्स का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता लिखमीचन्द की खातेदारी कब्जेशुदा भूमि वाके रोही रोड़ा के खेत खसरा नम्बर 1279 तादादी 1.32 हेक्टर भूमि निहित है। दौराने सेटलमेंट अपीलांट्स की खातेदारी भूमि रकबा 1.32 हेक्टर भूमि से कम करने व अपीलांट्स के धारण की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नम्बर 1301 में शामिल किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स का वादपत्र धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर विधि विरूद्व तरीके से खारिज कर दिया गया। जबकि प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा धारा 151 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुरूप ही पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जोकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17–08–2012 को खारिज किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त आदेश की कोई रिवीजन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–05–1988 की प्रति पेश की गई। जिसके पैरा संख्या 11 में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

एआईआर 1960 एससी पेज 941 के न्यायिक दृष्टांत को अभिलिखित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि:– it has been held that the principle of res judicata applies also as between two stages in the same litigation to this extent that a court, whether the trial court or a higher court having at an earlier state decided a matter in one way waill not allow the parties to re-agitate the matter again in a subsequent stage of the same proceedings.

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर नियमानुसार तनकीयात् कायम कर ली गई थी, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षित था कि उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर नियमानुसार वादप्रकिया के अनुरूप कायम की गई तनकीयात् पर साक्ष्य एवं सबूत का अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रत्येक तनकीयात् का विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त निर्णय पारित किया जाता, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के दीगर रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का मुख्य आधार यह लिया गया है कि वादग्रस्त भूमि नगरपालिका क्षेत्र में आने एवं आराजी जैर के मौके पर भू–खण्ड विक्रय किये जाने की स्थिति में आराजी जैर का स्वरूप कृषि भूमि नहीं होने से विवादित भूमि के बाबत् सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार है। जबकि वादग्रस्त भूमि का स्वरूप एक कृषि भूमि के रूप में रहा है तथा जहॉ तक आराजी जैर नगरपालिका क्षेत्र में पुनर्ग्रहित हो चुकी है, उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट्स द्वारा संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष अपील पेश की जा चुकी है तथा उक्त आदेश वर्तमान में चुनौतीधीन है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय की उपरोक्त व्याख्या विधि सम्मत् व्याख्या नहीं हैं। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा वादपत्र का आधार यह लिया गया था कि अपीलांट्स के धारण की भूमि को दौराने सेटलमेंट कम करते हुए प्रतिवादी संख्या

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1 की भूमि में जोड़ दिया गया है, जिसकी धोषणा एवं चिरनिषेधाज्ञा की मांग व तदनुरूप रिकार्ड में संशोधन की मांग की गई थी। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार विधिक रूप से राजस्व न्यायालय को प्राप्त होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2018 पेज 9, आरएलडब्ल्यू 2011 पार्ट I पेज 101 एवं आरएलडब्ल्यू 2014 पार्ट I पेज 689 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। जिसके माध्यम से अपीलांट्स का यह कथन है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् क्षेत्राधिकार के संबंध में उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय के समय किये जाने के तथ्यों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर प्रदत्त विधिक शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के वादपत्र के कथनों के अनुरूप आराजी जैर के बाबत् पुराने व वर्तमान में नक्शें के अनुरूप मौके की रिपोर्ट टीम गठित करते हुए किये जाने की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र के निर्धारण हेतु आत्यावश्यक मौके रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए अपीलांट्स को उनके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायायल द्वारा वादप्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचानें की नियत मात्र से आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया जाना परिलक्षित होता है। जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जाकर अपीलांट्स को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1988 पेज 443, आरबीजे 2018 पेज 1798, आरएलडब्ल्यू 2007 पेज 45, आरएलडब्ल्यू 2011 पेज 101, 179, आरएलडब्ल्यू 2014

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पार्ट I पेज 689, आरबीजे 2017 पेज 51, 757, आरबीजे 2018 पेज 09, 78 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम रोड़ा के खेत खसरा नम्बर 1279 तादादी 1.32 हेक्टर भूमि के बाबत् वादपत्र इस आधार पर पेश किया गया था कि दौराने सेटलमेंट वादीगण की भूमि को कम किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि खेत खसरा नम्बर 1301 में सम्मिलित कर दिया गया है। जिसकी घोषणा की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार स्टेट का जवाब प्राप्त करने के उपरान्त तथा यह पाये जाने पर की वादीगण की भूमि खेत खसरा नम्बर 1279 तादादी 1.32 हेक्टर नगरपालिका क्षेत्र में अधिग्रहित हो चुकी है तथा वादीगण द्वारा अधिकांश भूमि को आवासीय भू–खण्ड के रूप में विक्रय किया जा चुका है तथा वादीगण की भूमि सड़क की भूमि को मिलाने से पूरी हो जाती है तथा वादग्रस्त भूमि नगरपालिका नोखा में पुनर्ग्रहित हो जाने व वादीगण द्वारा अपनी भूमि पर गैर कृषि कार्य अर्थात भू–खण्ड काट कर बेचान किये जाने से आराजी जैर का स्वरूप कृषि भूमि नहीं रह जाने से सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं रह जाने के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के तहत न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए अपीलांट्स का वादपत्र खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट्स की अपील खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स/वादीगण के वादपत्र को धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के तहत खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के विरूद्व अपील के प्रावधान निहित नहीं होकर मण्डल में रिविजन के प्रावधान होने से अपीलांट्स की अपील इसी आधार पर खारिज किया जावे। प्रकरण में जहॉ तक विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की यह आपत्ति की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेन्ट् का प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किये जाने के उपरान्त पुनः उन्हीं आधारों पर धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पर वादपत्र को खारिज नहीं किया जा सकता था। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत वादपत्र को देखा जाता है परन्तु धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के तहत कानून की प्रकिया के दुरूपयोग के प्रश्न को देखा जाना होता है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर यह पाये जाने पर अपीलांट्स/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानून की प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए वादपत्र पेश किया गया है, वादीगण/अपीलांट्स का वादपत्र विधिक प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए खारिज किया गया है।

प्रकरण में अन्य तथ्य यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलांट्स की भूमि सेटलमेंट से पूर्व व पश्चात् में किसी प्रकार से कम हुई है। इसी प्रकार अपीलांट्स द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करते हुए इस तथ्य को छिपाया गया है कि आराजी जैर के अधिकांश भू–भाग का विक्रय बतौर भू–खण्ड किया जा चुका है तथा एक भू–खण्ड मंगल सिनेमा के नाम से संपरिवर्तित करवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के पूर्ववर्ती स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं पाये जाने व वर्तमान में आराजी जैर नगरपारिका नोखा द्वारा पुनर्गग्रहित किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलांट्स/वादीगण का वादपत्र खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में recent service judgement 2004 (2), सीसीसी 1999 स्प. 0515, एआईआर 1980 पेज 177, आरएलडब्ल्यू 2008 पार्ट II पेज 1390, सीजे 2018 पार्ट III राज. पेज 1985, डीएनजे 2013 पार्ट I पेज 9, एआईआर 2015 एससी, आरआरटी 2013 पार्ट II पेज 1347, सीडीआर राज. 2016 पार्ट III पेज 1308 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. प्रतिउत्तर बहस में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा कथन किया गया कि चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के वादपत्र को खारिज करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार डिक्री के विरूद्व अपील के प्रावधान विधि में निहित होने के आधार पर ही उक्त प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उक्त आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में जहॉ तक विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की यह आपत्ति की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 को स्वीकार करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है। ऐसीस्थिति में धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय के विरूद्व अपील पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि हालांकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को स्वीकार करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की गई है, परन्तु इस संबंध में हमने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों को दृष्टिगत् किया गया। प्रकरण में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के वादपत्र को खारिज करते हुए डिक्री पारित की गई है तथा ऐसी डिक्री के विरूद्व धारा 223 के तहत तहत अपील के प्रावधान प्रथम अपीलीय न्यायालय हाजा को प्रदत्त किये जाने के आधार पर ही अपीलांट्स द्वारा उक्त प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स की आपत्ति की अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील के प्रावधान निहित है, अस्वीकार योग्य पाई जाने से खारिज की जाती है।

8. प्रकरण में जहॉ गुणावगुण का प्रश्न है, इस संबंध में हमने आक्षेपित आदेश एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट्स/वादी की खसरा संख्या 1279/434 तादादी 1.32 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार था एवं

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट खसरा संख्या 1301/433 तादादी 1.66 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार था। वादी/ अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सेटलमेंट के नक्शे को दुरूस्ती करवा घोषणात्मक वाद पेश किया गया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट की अराजी 1.32 हैक्टेयर थी। अपीलांट 1.32 हैक्टेयर से अधिक अराजी पर क्लेम नहीं कर सकता है। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि अपीलांट की अराजी में से कुछ रकबा सड़क हेतु अवाप्त किया जा चुका है जिसकी पालना में इंतकाल संख्या 735 दर्ज रिकोर्ड है। प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार राज व नायब तहसीलदार नोखा के जवाब का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवारी हल्का की पैमाइश करवाये जाने पर मौके पर खसरा संख्या 1279 की भूमि व गैर मुमकिन सडक की भूमि का योग करने पर अपीलांट का रकबा पूर्ण होता है।

सड़क के एक तरफ अपीलांट व दूसरी तरफ रेस्पोडेन्ट की अराजी है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों की अराजी सडक हेतु अवाप्त हुई है ऐसी स्थिति में अपीलांट की सडक के दूसरी तरफ भूमि किस प्रकार से संभव है। अपीलाधीन भूमि वर्तमान में कृषि भूमि नही होकर नगरपालिका नोखा के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है जिसका इंतकाल संख्या 1290 पत्रावली पर उपलब्ध है। राजस्व न्यायालय केवल कृषि भूमि के संबंध में ही कोई अनुतोष देने के लिए सक्षम है।

दौराने वाद कार्यवाही रेस्पोडेन्ट् संख्या 1/प्रविवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत रिकार्ड व स्टेट का जवाब के आधार पर यह पाये जाने पर कि वादग्रस्त भूमि नगरपालिका नोखा द्वारा पुनर्ग्रहित की जा चुकी है तथा अपीलांट्स/वादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि को जरिये एग्रीमेन्ट आवासीय भू–खण्ड के रूप में विक्रय किया जा चुका होने से आराजी जैर खेत खसरा नम्बर 1279 नगरपालिका के नाम दर्ज रिकार्ड होने से वर्तमान स्वरूप कृषि भूमि नहीं होने व खसरा नम्बर 1279 की भूमि सड़क में अवाप्तशुदा भूमि को मिलाने से पूर्ण हो जाने व ऐसी भूमि के बाबत् सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

धारा 151 सीपीसी स्वीकार अपीलांट्स/वादीगण के वादपत्र को खारिज किया गया है। प्रकरण में अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से यह साबित करने में असफल रहे है कि दौराने सेटलमेंट उनके धारण की भूमि को किस प्रकार से कम किया गया है तथा आराजी जैर का वर्तमान स्वरूप कृषि भूमि होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिससे यह जाहिर हो सके कि आराजी जैर का वर्तमान स्वरूप अकृषि नहीं कृषि प्रयोजनार्थ रहा हो। प्रकरण में जहॉ तक न्यायालय द्वारा सिविल प्रकिया संहित, 1908 की धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के तहत वादपत्र को खारिज किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में धारा 151 सीपीसी का अवलोकन किया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:– Saving of inherent powers of Court – Nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Court to make s uch orders as may be necessary for the ends of justice for to prevent abuse of the process of the Court.

इस प्रकार उपरोक्त विधि के उपरोक्त प्रावधानों के तहत न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के तहत ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह पाये जाने पर अपीलांट्स/वादीगण द्वारा न्यायालय की प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया गया है, वादपत्र को विधि सम्मत् तरीके से खारिज किया गया है। जहां तक अधिवक्ता अपीलांट की यह बहस थी कि अधीनस्थ न्यायालय ने जब एक बार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 खारिज कर दिया है तो पुनः धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर उन्हीं बिन्दुओं पर निर्णय पारित नहीं कर सकता। अधीनस्थ न्यायालय का इस प्रकार का यह कृत्य रेस ज्यूडिकेटा की श्रेणी में आता है। इस पर हमारा विनम्र अभिमत यह है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत व निर्णित किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय द्वारा धारा 151 सीपीसी के तहत निर्णय करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त कार्यवाही को विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2008 पार्ट II पेज 1390 के आधार पर भी समर्थन प्राप्त होता है जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:– CPC.,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Order 7 Rule 11, Sec. 151 – Dismissal of Suit – Abuse of law and process of the Court – Held – Plaint can be rejected on the grounds mentioned in Order 7 Rule 11 c.p.c like the suit is barred by law or it does not disclose the cause of action or proper Court fees has not been paid even after order of the Court – If the Suit is abuse of proces of the Court and cannot be dismissed u/o 7 R.11 cpc. then the Court is not helpless and can dismiss the suit invoking powers u/s. 151 C.P.C.,

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार विधि में उपलब्ध प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत नहीं होने से अपीलांट्स की अपील अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।

9. अतः उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत के आलोक में अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13–12–2019 यथावत बहाल रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 29-01-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

सागरमल बनाम माणकचंद आदि
अपील संख्या 56/19

बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नोखा
मुवर्खे 13–12–2019

यह अपील ब–तारीख 29–01–2025 रूबरू हमारी, बहाजरी श्री अभिभाषक अपीलांट्स श्री सत्यनारायण तिवाडी, अभिभाषक रेस्पोडेन्टस श्री आनन्द बजाज, सत्यपाल सहू, बहादुरराम सुथार पेश होकर हुक्म हुआ। जिसके अनुसार अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–12–2019 यथावत बहाल रखे गये।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग .....–.....) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....–..... अदा करें।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 29 माह जनवरी सन् 2025 को जारी किया गया।

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	य पै.
1. स्टाम्प अपील..... 2. स्टाम्प वकालतनामा .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत् ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालतनामा..... 2. अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील ..... मीजान		